कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश
सतपुड़ा भवन, भोपाल–462004

क्रमांकः 904 /207 /आउशि/शा–5'अ'/2020 भोपाल, दिनांक 28/10/2020

प्रति,

प्राचार्य,
समस्त शासकीय/अनुदान प्राप्त अशासकीय/निजी अशासकीय महाविद्यालय,
मध्यप्रदेश।

विषय– **सत्र 2020–21 के अन्तर्गत स्नातक/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में सी.एल.सी. चतुर्थ चरण में प्रवेश प्रकिया हेतु निर्देश।**

संदर्भ– 1. कार्यालय का पत्र क. 701/254/आउशि/शा–5'अ'/2020 दिनांक 22.09.2020
2. कार्यालय का पत्र क.738/254/आउशि/शा–5'अ'/2020 दिनांक 29.09.2020
3. कार्यालय का पत्र क.788/207/आउशि/शा–5'अ'/2020 दिनांक 08.10.2020

––000––

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि स्नातक/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों हेतु सी.एल.सी. चतुर्थ चरण स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर दिनांक 30/10/2020 से दिनांक 10/11/2020 तक आयोजित है। सी.एल.सी. चतुर्थ चरण के अन्तर्गत रिक्त सीटें ओपन श्रेणी की होंगी।

2. सी.एल.सी. चतुर्थ चरण के अन्तर्गत दिनांक 03.11.2020 को पोर्टल पर रिक्त स्थान की जानकारी प्रदर्शित की जाएगी।

3. सी.एल.सी. चतुर्थ चरण के अन्तर्गत स्नातक प्रथम वर्ष तथा स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर के लिए दिनांक 30/10/2020 से 03/11/2020 तक आवेदक नवीन पंजीयन करा सकेंगे। नवीन आवेदक तथा ऑनलाईन सत्यापन से वंचित आवेदकों द्वारा दिनांक 02/11/2020 से 04/11/2020 तक दस्तावेजों का सत्यापन करा सकेंगे।

4. स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर पर दिनांक 05.11.2020 से 10.11.2020 तक रिक्त स्थानों वाले पसंद के महाविद्यालयों में आवेदक व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर निर्धारित प्रपत्र में जानकारी भरकर प्रातः 10:30 से मध्यान्ह 01:00 बजे तक रिपोर्टिंग करेंगे।

5. आवेदक एक से अधिक महाविद्यालय में प्रवेश के लिए निर्धारित प्रपत्र में रिपोर्टिंग कर सकेंगे।

6. समस्त शासकीय/अनुदान प्राप्त अशासकीय/निजी अशासकीय महाविद्यालय दिनांक 05.11.2020 को पूर्वान्ह 10:30 बजे से अपरान्ह 01:00 बजे तक आवेदकों के निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त आवेदन के आधार पर महाविद्यालयों में पाठ्यक्रमवार रिक्त सीटों के लिए अपरान्ह 03:00 बजे गुणानुक्रमानुसार प्रवेश मेरिट सूची जारी की जाएगी।

7. समस्त शासकीय/अनुदान प्राप्त अशासकीय/निजी अशासकीय महाविद्यालय पाठ्यक्रमवार जारी प्रवेश मेरिट सूची पर्याप्त स्थानों पर सूचना पटल पर प्रदर्शित करेंगे तथा ध्वनि विस्तारक यंत्रों के माध्यम से उद्घोषणा कर जारी प्रवेश मेरिट सूची में अंकित नामों का वाचन कर उपस्थित आवेदकों को सूचित करने की कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।

8. समस्त शासकीय/अनुदान प्राप्त अशासकीय/निजी अशासकीय महाविद्यालय दिनांक 05.11.2020 को पाठ्यक्रमवार जारी प्रवेश मेरिट सूची में स्थान पाने वाले समस्त आवेदकों को महाविद्यालय स्तर पर सीट आवंटित करेंगे तथा आवेदक शुल्क का ऑनलाइन भुगतान कर प्रवेश सुनिश्चित करेंगे।

9. यदि आवेदक का नाम एक से अधिक महाविद्यालयों की प्रवेश मेरिट सूची में है तो आवेदक किसी एक महाविद्यालय का चयन कर ई–प्रवेश पोर्टल के माध्यम से उसी दिन अर्थात् दिनांक 05.11.2020 को ऑनलाइन प्रवेश शुल्क की प्रथम किश्त की राशि का ऑनलाइन भुगतान कर प्रवेश सुनिश्चित करेंगे।

10. दिनांक 05.11.2020 को जारी प्रवेश मेरिट सूची में सम्मिलित आवेदक द्वारा प्रवेश शुल्क का उसी दिवस रात्रि 12:00 बजे तक प्रवेश शुल्क का ऑनलाइन भुगतान नहीं करने पर आवेदक का नाम जारी प्रवेश मेरिट सूची से विलोपित करने की कार्यवाही की जाएगी।

11. दिनांक 06.11.2020 को पुनः नए सिरे से पूर्वान्ह 10:30 बजे से अपरान्ह 01:00 बजे तक रिक्त स्थानों वाले पसन्द के महाविद्यालयों में आवेदक द्वारा व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर पुनः रिपोर्टिंग की जाएगी। शेष प्रक्रिया बिन्दु क्रमांक 06 से 10 अनुसार स्थान रिक्त रहने पर अंतिम दिवस तक संचालित की जाएगी।

12. समस्त शासकीय/अनुदान प्राप्त अशासकीय/निजी अशासकीय महाविद्यालयों में दिनांक 08.11.2020 (रविवार) को भी स्नातक/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में उपरोक्तानुसार प्रवेश प्रक्रिया संचालित की जाएगी।

13. प्रवेश प्रक्रिया के प्रथम चरण/सी.एल.सी. प्रथम/तृतीय चरण में विकल्प देने वाले आवेदक जिन्हें प्रवेश नहीं मिला है अथवा प्रवेश सूची में नाम आने के पश्चात् प्रवेश शुल्क जमा नहीं किया है, वे सभी आवेदक रिक्त स्थानों के आधार पर पंसद के महाविद्यालयों में उपरोक्तानुसार कार्यवाही पूर्ण करते हुए प्रवेश प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकेंगे।

14. पंजीकृत एवं ऑनलाईन सत्यापित परन्तु प्रवेश से वंचित समस्त आवेदक रिक्त स्थानों के आधार पर पसन्द के महाविद्यालयों में रिपोर्टिंग कर प्रवेश प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकेंगे।

15. कोरोना (कोविड–19) के संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए सेनेटाईजेशन, शारीरिक दूरी एवं समय समय पर जारी दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाए।

16. सी.एल.सी. चतुर्थ चरण हेतु ध्वनि विस्तारक यंत्रों के माध्यम से सूचनाओं के प्रसारण की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

अतः उपरोक्तानुसार प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

(अपर आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित)

27/10/20

(डॉ0 धीरेन्द्र शुक्ल)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश

पृ. क्रमांक 905 / 207 /आउशि/शा–5'अ'/2020 भोपाल, दिनांक 28/10/2020

प्रतिलिपि–

1. निज सहायक माननीय मंत्री जी, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल, मध्यप्रदेश।
2. स्टॉफ ऑफिसर, प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल, मध्यप्रदेश।
3. निज सहायक, अपर आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, सतपुड़ा भवन, भोपाल मध्यप्रदेश।
4. समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश।
5. प्राचार्य, समस्त शासकीय अग्रणी महाविद्यालय, मध्यप्रदेश।
6. सी.ई.ओ. एम.पी. ऑनलाइन, द्वितीय तल, डी.बी. मॉल, अरेरा हिल्स, भोपाल।
7. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, आई. टी. शाखा, उच्च शिक्षा संचालनालय सतपुड़ा भवन, भोपाल की ओर वेबसाईट पर प्रकाशित करने हेतु ।

.... की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश

पासपोर्ट फोटो

उच्च शिक्षा, विभाग
सी.एल.सी. चतुर्थ चरण में रिर्पोटिंग हेतु प्रपत्र
सत्र 2020–21

1. ऑनलाइन आवेदन कमांक –
2. आवेदक का नाम –
3. पिता का नाम –
4. माता का नाम –
5. जन्म तिथि –
6. लिंग (पुरूष / महिला) –
7. जाति / वर्ग –

प्रवेश हेतु जानकारी

रिर्पोटिंग का दिनांक :

रिर्पोटिंग महाविद्यालय का नाम :

1. प्रवेश हेतु कक्षा ———————— संकाय / विषय ————————
2. अर्हताकारी उत्तीर्ण परीक्षा ———————— वर्ष ———————— अनुक्रमांक ————————
3. अर्हताकारी परीक्षा के प्राप्तांक ———————— पूर्णाक ———————— परीक्षा परिणाम ————————
4. अधिभार यदि देय हो तो –

(i) NCC (ii) NSS (ii) क्रीडा (iii) अन्य

आवेदक के हस्ताक्षर

महाविद्यालय उपयोग के लिए

1. प्रवेशित कक्षा
2. रिक्त सीट संख्या
3. गुणानुक्रम सूची कमांक
3. प्रवेश हेतु अनुशंसित

प्राचार्य प्रवेश समिति

नोट– (1) ऑनलाइन पंजीयन आवेदन के प्रिन्टआउट की एक छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।

(2) इस चरण में रिक्त समस्त सीटें ओपन श्रेणी की होंगी। गुणानुक्रम का निर्धारण प्रवेश नियम एवं मार्गदर्शी सिद्धांत में उल्लेखित प्रावधानों के अधीन होगा।

(3) प्रवेश समिति की अनुशंसा उपरांत आवेदक ई–प्रवेश पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन प्रवेश शुल्क का भुगतान सुनिश्चित करेंगे।